हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

मंगलवार, 7 अप्रैल, 2015/17 चैत्र, 1937(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(2) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम के 40वां वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: पब-ए(3)-1/2014 दिनांक 29.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.10.2014 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. **विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:**

कार्य-सलाहकार समिति का सप्तम् प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा ।

4. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 7)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(ii) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 8)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(iii) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 9)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

शिमला-171 004 — **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक: 06 अप्रैल, 2015 — **सचिव ।**

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)